बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

निविदा-सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में कार्यालय व्यवहार हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अन्तर्गत न्यूनतम दर (L1) पर उत्कृष्ट कोटि एवं मानक मात्रा के लेखन एवं अन्य सामग्रियों की क्रय दर निर्धारण हेतु दिनांक-15.12.2014 के अपराह्न 3:00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है । उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे प्राप्त सभी निविदाओं को उनके निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सामने खोली जायेगी । यदि कोई निविदादाता निविदा समिति के समक्ष अनुपस्थिति रहते है, तो इसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी । निविदा की शर्तो एवं लेखन तथा अन्य सामग्रियों की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में प्राप्त की जा सकती है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाइट http://rdd.bih.nic.in पर उपलब्ध है ।

निविदा की शर्तें :-

तकनीकी निविदा की शर्तें-

1. सभी निविदा मे फर्म/एजेंसी का नाम एवं निविदादाता का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ।
2. पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. अद्यतन वाणिज्य-कर प्रमाण-पत्र/वैट निबंधन प्रमाण-पत्र तथा 2013-14 एवं 2014-15 का छमाही का बिक्री कर/वैट अदायगी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
4. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान के पैड पर यह लिखित देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे "काली सूची" में दर्ज नहीं है तथा दी गई सूचनाएँ सही है ।
5. वैसे प्रतिष्ठान निविदा में भाग लेंगे जिनका किसी निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठान हो ।
6. निविदा खोलने के समय निविदा में वर्णित सामग्रियों का नमूना दिखाना होगा ।

वित्तीय निविदा की शर्तें:-

1. आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्रियों का नाम मात्रा एवं दर अंकों में तथा शब्दों में लिखा होना चाहिए ।
2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए । जो निविदादाता तकनीकी बीड पूरा करेंगे, उनका ही वित्तीय बीड खोला जाएगा ।
3. अग्रधन के रूप में उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जमा करनी होगी । (नोट:- किसी भी स्थिति में बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किया जायेगा)
4. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अलग से कोई अग्रिम देय नहीं होगा ।
5. सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित कार्यालय में ली जायेगी तथा परिवहन हेतु कोई राशि देय नहीं होगी ।
6. आपूर्तिकर्त्ता वस्तु के प्रकृति के आधार पर एक निश्चित अवधि (एक से तीन वर्ष के बीच) के लिए पंजीकृत किये जायेगें । उस अवधि की समाप्ति पर पंजीकरण को जारी रखने के इच्छुक पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ता पंजीकरण के नवीकरण हेतु नये सिरे से आवेदन करेंगे ।
7. सफल निविदादाता को दर एवं आपूर्ति के संबंध में एकरारनामा करना आवश्यक होगा ।
8. निविदा समिति द्वारा अनुशंसित एवं विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर कोई भी निविदादाता सामग्रियों की आपूर्ति कर सकता है ।
9. विभिन्न विभागों/निकायों में आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण-पत्र यदि हो, तो दे सकते है ।
10. असफल निविदादाताओं द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जायेगा ।
11. किसी भी समय निविदा की प्रक्रिया को अमान्य करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा ।

21/11/14

उप सचिव

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना ।